जर्मनी में तीसरे लिंग को मान्यता

जल्दी ही जर्मनी युरोप का पहला देश बन जाएगा जहां स्त्री और पुरुष के साथ-साथ तीसरे लिंग को अधिकारिक मान्यता मिल जाएगी। अब वहां लिंग के खाने में तीन विकल्प होंगे - स्त्री, पुरुष और अनिर्धारित।

पारंपरिक जीव विज्ञान में मनुष्यों को दो लिंगों में विभाजित किया जाता है - स्त्री व पुरुष। मगर काफी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनका लिंग स्पष्ट नहीं होता। ऐसा किसी जिनेटिक कारण से भी हो सकता है और भ्रूणावस्था में विकास के क्रम की वजह से भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर यह तय नहीं कर पाते कि बच्चा नर है या मादा। तब वे उसे नर-मादा किसी एक श्रेणी में रख देते हैं।

जर्मनी में जो नया कानून बना है उसमें इस दिक्कत से छुटकारा मिल सकेगा। इसमें यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है कि बच्चे को उपरोक्त दो में से किसी एक श्रेणी में रखा ही जाए। डॉक्टर ऐसे बच्चे का लिंग 'अनिश्चित' लिखेंगे और बच्चा वयस्क होने के बाद खुद तय करेगा कि वह किस लिंग में वर्गीकृत होना चाहता है।

अंतर्राष्ट्रीय लेस्बियन, गे, बायसेक्चुअल, ट्रांस व इंटरसेक्स संगठन के सिल्वान एजियस ने इस फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है। दरअसल कुछ जीव वैज्ञानिक मानते आए हैं कि सारे इंसानों को दो लिंगों में बांटना न सिर्फ सामाजिक रूप से उचित नहीं है, बल्कि जीव वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसमें संशोधन की आवश्यकता है। भारत समेत कई देशों में पहले ही स्त्री-पुरुष विभाजन से आगे जाकर 'अन्य' श्रेणी को मान्यता मिल चुकी है। ऐसे सारे अन्य-लिंगी लोगों के विभिन्न संगठनों का विचार है कि उनके लिंग को आधिकारिक मान्यता मिलने से उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का हक मिलेगा। ***(स्रोत फीचर्स)***